

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मये इनिशियट्स जज
24-12-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 24/12 को पेश हो।
25-12	उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-12-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
26-23	उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-3-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
26-34	उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
30-4-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30-4 को पेश हो।
18-8-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
29-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29-6 को पेश हो।
1-12-21	पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग इन्फिफान 2021 के मुद्दे पर पंचायत भीमडियास में पेश हुई 23 अप्रैल को सम्मन वास शामिल होकर प्राप्त हुआ (जि.पे.श. व. 10/21) तहसीलदार मांडल से मांका शिवरिया, तहसील शा.प.क.दिवागवा, प्राणीगण का जर्जना पत्रावली कर दिया जाकर शा.प.क.दिवागवा पत्रावली केसल अमर होश नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सेक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021

नम्बर
अवकाश
हुकम की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड
पीठारीन अधिकारी :-

मा संख्या :- 168/2021-
श्री इश्वरदास शिवा

कपा शिवा

प्रार्थना प

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना
न किया कि ग्राम

/संयुक्त खातों की आराज
02 की

यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने
त खाते की भूमि की पत्थर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्याय
निकर्णार्थ से यह बात सिद्ध है

गारी है। वैसे भी इस प्रकार
तथा न किसी प्रकार अधि

त के आधार पर आवेदन प

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 11
र हल्की

कुल कित

के चारों तरफ सीमा की
गदी किये जाने हेतु भू अ

कमिश्नर फीस पर कमि
नर फीस जमा होने पर पक्ष

को आधार मानकर पत्थर

नपि :- तहसीलदार मांडल
पालना रिपोर्ट 7 दिवस



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 168/2011-पञ
श्री ईश्वरदास श. श्री उदयराम दोली निवासी - भीमडियास तहसील मांडल (भीलवाड़ा)

प्रशासन गौवों के संग अधियान 2021

बनाम
श्री रुपा श. गान्गु बवाई निवासी - भीमडियास तहसील - मांडल (भीलवाड़ा)
(सहायक श. पञसक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
वेदन किया कि ग्राम भीमडियास पटवार हल्का भीमडियास तहसील मांडल/में उसके
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1501/1005 कुल किता 07
रकबा 02 बीघा स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी
मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.12.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमडियास
पटवार हल्का भीमडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1501/1005
..... कुल किता 01 रकबा 02 बीघा हेक्टेयर
म के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक श. गान्गु को 500/- /-
ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
दुको आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा 2021

लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर पत्थरगद्दी की